सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-6731/JH/239/2025-RU-IV दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला-गुमला,
उपायुक्त का कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
गुमला, झारखंड 835207
ई-मेल: dc-gum@nic.in

विषय: **अधिग्रहित क्षेत्र का मुआवजा न मिलने के संबंध में - श्रीमती धुनिया देवी, पति-श्री चामा उरांव, ग्राम-पुगु, पोस्ट-अरमई, थाना तथा जिला-गुमला, झारखण्ड का दिनांक 05.12.2025 का पत्र/अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

19.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्रीमती धुनिया देवी,
पति-श्री चामा उरांव,
ग्राम-पुगु, पोस्ट-अरमई,
थाना तथा जिला-गुमला
Mobile No:7321987155

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-6731/JH/239/2025-RU-IV

श्रीमती धुनिया देवी, पति-श्री चामा उरांव, ग्राम-पुगु, पोस्ट-अरमई, थाना एवं जिला-गुमला (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "अधिग्रहित क्षेत्र का मुआवजा न मिलने" के मामले में दिनांक 05.06.2026 को सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 05.06.2026

सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदिका श्रीमती धुनिया देवी, पति-श्री चामा उरांव, ग्राम-पुगु, पोस्ट-अरमई, थाना एवं जिला-गुमला (झारखंड) द्वारा दिनांक 05.12.2025 को आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-23 (पलमा-गुमला) पथ निर्माण योजना के अंतर्गत पंचाट संख्या-01 के माध्यम से उनकी भूमि पर स्थित वृक्षों एवं संरचनाओं (मकान आदि) का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण के एवज में उन्हें ₹28,59,130/- की मुआवजा राशि देय निर्धारित की गई थी।अभ्यावेदिका का आरोप है कि पंचाट पारित होने एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद लगभग पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उन्हें निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि खाता एवं प्लॉट संबंधी अभिलेखों में त्रुटि के कारण मुआवजा भुगतान लंबित है।अभ्यावेदिका ने आयोग से खाता-प्लॉट संबंधी त्रुटियों का निराकरण कराते हुए देय मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 19.01.2026 को जिलाधिकारी, गुमला (झारखंड) को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

3. मामले की गंभीरता तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित संपत्ति के मुआवजा भुगतान से संबंधित लंबित विवाद को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उपायुक्त, गुमला (झारखंड) को माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को गुमला, झारखंड में निर्धारित सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु सिटिंग नोटिस जारी किया गया है।

4. सुनवाई में उपायुक्त, गुमला व् अभ्यावेदकगण उपस्थित रहे

5. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, गुमला तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया की राष्ट्रीय. राजमार्ग सं०-23(पलमा-गुमला) पथ चौड़ीकरण परियोजना अन्तर्गत मौज-पुग्गु, पंचाट सं-01, खाता सं.-11

प्लॉट सं.- 1525 में अधिग्रहित की गई भूमि पर अवस्थित संरचना का मुआवजा राशि का भुगतान श्रीमती धुनिया देवी को दिनांक- 21.04.2026 को कर दिया गया है। अभ्यावेदिका ने भी इस पर सहमती जताई एंव बताया की उसे वहां से अपना घर खाली करने हेतु समय दिया जाए

6. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है**

I. अभ्यावेदिका को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अन्यत्र स्थानांतरित (Shift) होने के लिए एक माह का समय प्रदान किया जाए।

II. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन/उत्तर दिनांक 29.05.2026 के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। अतः आयोग की ओर से किसी अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार, वर्तमान प्रकरण को आयोग में बंद किया जाता है।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi